(1)

कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 2021/02 दिनांक-14-05-2020

पत्र सं0- (आडिट)//वाह्य सम्परीक्षा माड्यूल / /2020-21// 04 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वाह्य आडिट-अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 14 मई 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभाग में बाह्य ऑडिट से सम्बन्धित आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से EXTERNAL AUDIT MODULE को प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त माड्यूल हेतु लिंक VYAS Central पर Assesment के Dropdown Menu में उपलब्ध रहेगा। इस माड्यूल के माध्यम से लोक लेखा समिति (PAC) हेतु प्रस्तावित अथवा फाईनल प्रस्तरों से सम्बन्धित आपत्तियों पर मुख्यालय को समयबद्ध, सुस्पष्ट तथा समस्त साक्ष्यों सहित अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय एवं खण्ड कार्यालय के मध्य समस्त संवाद ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से तथा मुख्यालय एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) के मध्य समस्त संवाद जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से ही हो सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गयी है।

लम्बित प्रस्तरों से सम्बन्धित सूचना की प्रारम्भिक फीडिंग मुख्यालय स्तर पर की जाएगी जो कि ऑडिट वर्ष के अनुसार यथा स्थिति ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रदर्शित होगी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ जोनल एडीशनल कमिश्नर उक्त प्रारम्भिक सूचना अपने दिशा निर्देशों के साथ सम्बन्धित खण्ड/कार्पोरेट सर्किल को अग्रसारित कर देंगे। खण्ड/कार्पोरेट सर्किल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के आधार पर सम्प्रेक्षा दल द्वारा प्राप्त करायी गयी आपत्ति तथा उक्त आपत्ति की अनुपालन आख्या संबधित फील्ड्स में टाईप करायी जायेगी एंव अनुपालन आख्या में वर्णित समस्त साक्ष्यों की एक PDF फाईल का निर्माण कर उसे आख्या के साथ ही अपलोड किया जायेगा।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त खण्डाधिकारी/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) द्वारा Submit बटन क्लिक करने पर उक्त अनुपालन आख्या संबधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर को Online अग्रसारित हो जाएगी।

मुख्यालय पर खण्ड कार्यालय से सम्बन्धित बाह्य ऑडिट की आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) की है तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) से संबधित अनुपालन आख्या प्रेषित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर की है। अतः ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर का यह मौलिक दायित्व है कि खण्ड/ कार्पोरेट सर्किल से अग्रसारित आख्या का स्वयं व्यक्तिगत स्तर से परिशीलन करते हुये तथा अनुपालन आख्या से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही अनुपालन आख्या को समयबद्ध तरीके से मुख्यालय हेतु अग्रसारित करेंगे। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ जोनल एडीशनल कमिश्नर को खण्ड/कार्पोरेट सर्किल से प्राप्त अनुपालन आख्या संतोषजनक नहीं होने की दशा में माड्यूल में यह व्यवस्था की गयी है कि खण्ड/कार्पोरेट सर्किल स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या को अपने निर्देशों के साथ संशोधित आख्या प्राप्त करने के उद्देश्य से खण्ड/कार्पोरेट सर्किल को प्रति प्रेषित कर सकते है अथवा खण्ड/कार्पोरेट सर्किल कार्यालय से प्राप्त आख्या को स्वयं ही संशोधित कर सकते है। अनुपालन आख्या से संतुष्ट होने पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा Submit करने पर उक्त आख्या मुख्यालय हेतु Online अग्रसारित हो जायेगी।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा उपरोक्तानुसार अग्रसारित किसी अनुपालन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर करने पर यदि कोई कमी पायी जाती है तो तद्नुसार निर्देश के साथ मुख्यालय द्वारा उक्त आख्या विशेष को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर के पास माड्यूल में ही टिप्पणी अंकित कर वापस कर दी जायेगी तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में संशोधित अनुपालन आख्या तैयार कराते हुये पुनः मुख्यालय को अग्रसारित की जाएगी । पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्याओं को भी समय–समय पर इसी प्रक्रियां से अद्यतन कराये जाने की व्यवस्था भी माड्यूल में की गयी है।

ऑडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या को तैयार कराने तथा Online प्रेषित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है–:

1. सम्परीक्षा दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति यदि विधिक नहीं है तो अनुपालन आख्या में उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट विधिक आधार का वर्णन किंया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि किसी न्यायिक निर्णय अथवा धारा–59 के अन्तर्गत आदेश का आधार लिया गया है तो अनुपालन में उसका उल्लेख करते हुये विधिक विवेचना अंकित किया जाये तथा उक्त आदेश की प्रति सहित समस्त संबधित साक्ष्यों को Upload किया जायेगा।
2. सम्परीक्षा दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के अनुपालन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश यदि प्रथम अपील से अपास्त हुआ है तो अनुपालन आख्या में आदेश को अपास्त करने के मुख्य आधार, यथा माननीय उच्च न्याय0/माननीय सर्वोच्च न्याया0 द्वारा निर्गत न्यायिक निर्णय इत्यादि, का स्पष्ट वर्णन किया जायेगा। प्रथम अपीलीय निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील योजित नहीं करने की दशा में उक्त के आधार का भी स्पष्ट वर्णन किया जायेगा तथा समस्त संबधित साक्ष्यों को Upload किया जायेगा।
3. सम्परीक्षा दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के अनुपालन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश यदि मा0 अधिकरण द्वारा अपास्त किया गया है तो अनुपालन आख्या में आदेश को अपास्त करने के मुख्य आधार, यथा माननीय उच्च न्याय0/माननीय सर्वोच्च न्याया0 द्वारा निर्गत न्यायिक निर्णय इत्यादि, का वर्णन किया जायेगा। मा0 अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल नहीं करने की दशा में उक्त के आधार का भी स्पष्ट वर्णन किया जायेगा तथा जोनल विधि समिति की रिपोर्ट सहित समस्त संबधित साक्ष्यों को Upload किया जायेगा।
4. जिन मामलों में वसूली की कार्यवाही प्रचलित है, उन मामलों में वसूली हेतु किये गये समस्त प्रयास तथा अभी तक वसूली नहीं हो पाने सम्बन्धित कारणों का स्पष्ट वर्णन किया जायेगा तथा समस्त संबधित साक्ष्यों को Upload किया जायेगा एंव प्रत्येक माह उसकी अद्यतन स्थिति को भी Module पर Update किया जायेगा।
5. जिन मामलों में सम्परीक्षा दल द्वारा उठायी गयी आपत्ति के उपरान्त धारा–31 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया गया है उन मामलों में धारा–31 के आदेश के साथ अभिलेख पर उपलब्ध उन तथ्यों को साक्ष्य स्वरूप Upload किया जायेगा जिनके आधार पर धारा–31 के अन्तर्गत आदेश किया गया है।

इस प्रकार EXTERNAL AUDIT MODULE के VYAS Central पर live होने के साथ ही पी0ए0सी0 वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रविष्टियाँ मुख्यालय स्तर से अंकित कर दी जायेंगी जिनसे सम्बन्धित अनुपालन आख्या MODULE पर Upload किया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात इसके पूर्व के सभी उन वर्षों के प्रस्तरों को भी Upload किया जायेगा जिनसे सम्बन्धित पी0ए0सी0

बैठक अभी तक नहीं हुयी है, जिसकी अद्यतन स्थिति इसी प्रक्रिया के अनुसार Upload की जायेगी। MODULE में अनुपालन प्रेषित हो जाने के उपरान्त उक्त अनुपालन हार्डकापी में प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः EXTERNAL AUDIT MODULE के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त खण्डाधिकारियों/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) कार्यालयों को अवगत कराते हुये दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक– उक्त।

प्रतिलिपि–:

एडीशनल कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की EXTERNAL AUDIT MODULE को VYAS Central पर live कराने तथा परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर Upload कराने हेतु।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (ऑडिट)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ